असमत करार

मेरे निर्माता ने मुझे दंड-स्वइरूप ब्या ज देने के लिए मजबूर बनाया। मगर उन्हों ने पूरा करने के विलंब के लिए कोई प्रतिपूर्ति भुगतान नहीं दिया। क्या े करना है

करार के अनुसार, यदि निर्माता योजना के पूरे भाग को छोड़ देते हैं तो निर्माता को ब्या ज या प्रतिपूर्ति के बिना सिर्फ आबंटितों द्वारा भुगतान किए रकम को वापस करना है। अपितु, यदि आबंटियों ने किश्ति भुगतान में विलंब किया है तो उनको देय रकम और 20% ब्यानज भी देना होगा।

राहत: निर्माता को जमा की गई राशि का बैंक ऋण के बराबर ब्या्ज देना होगा।

- मालिक एस्टे ट प्राइवेट लिमिटेड, एन.सी.डी.आर.सी. के विरुद्ध तरुण कुमार घाई, 2008, सी.पी.जे. 309

कब्जा ा करने की सुपुर्दगी में विलंब

मेरे निर्माता ने मेरे मकान को पूरा नहीं किया। उनके विलंब के कारण मेरा बैंक ब्या ज बढ़ गया। इससे कैसे बचना है?

यदि निर्माता समय पर कब्जाइ प्रदान करने में असफल होता है, तो उनको जमा की गई राशि पर खरीददार द्वारा प्राप्त बैंक ऋण के ब्याणज के बराबर ब्या ाज देना होगा।

- अन्सा ाल प्रोपर्टिज एवं इंडस्ट्री ज लिमिटेके विरुद्ध वीणा खन्नाब , 2007, सी.पी.जे. 185

क्रेडिट कार्डों पर 30% ब्या ज से ज्या ादा भुगतान न करें।

- मेरे क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले ने मुझसे 45% चक्रवृद्धि ब्या ज लिया है। क्याम इस जाल से बचने के लिए कोई उपाय है

30% से ऊपर ब्या ेज लेना अनुचित उच्च ब्यादज दर मानना होगा। देय तारीख से पहले पूरा भुगतान करने में असफल होने पर क्रेडिट कार्ड धारकों से ऐसे दर प्रभार करना अनुचित व्या पार प्रथा के लिए कारण होगा।

- आर.बी.आई. एवं अन्योंा के विरुद्ध आवाज एवं अन्य2007, एन.सी.डी.आर. (सी.सी. सं. 51/2007)